कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण के साथ ही समस्त बल्क कचरा उत्पादकों को सूचित किया जाता है कि, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के तहत एवं भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु जारी की गई के अनुसार गीले कचरे का निपटान संबंधित को अपने परिसर में ही करना है। इस हेतु नगर निगम द्वारा गीले कचरे के निपटान हेतु चिन्हित बल्क कचरा उत्पादकों से उनके परिसर में ही निपटान कराया जाना सुनिश्चित किया गया है, इसी के साथ ही ऐसे कचरा उत्पादक जिनके परिसर में कचरा निपटान हेतु स्थान का अभाव है, उन्हें स्वाहा रिसोर्स मेनेजमेंट प्रा.लि. नामक सेवा प्रदाता को दिनांक 31/10/2017 से जोड़ा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 हेतु जारी गाईडलाईन की कंडिका क्र. 2.10 के अनुपालन हेतु समस्त बल्क कचरा उत्पादक जिनके परिसर में स्थान का अभाव है, वह नगर निगम से अनुबंधित मेसर्स स्वाहा रिसोर्स मेनेजमेंट प्रा.लि. सेवा प्रदाता से जुड़ कर अपने गीले कचरे का निपटान सुनिश्चित करावें। इस सार्वजनिक सूचना का अपालन करने की स्थिति में संबंधित बल्क कचरा उत्पादक संस्थानों के विरूद्ध स्पॉट फाईन के साथ ही EPA Act 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त के क्रम में समस्त बल्क कचरा उत्पादकों यथा होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टॉरेंट, कॉलेज, हॉस्टल, RWA इत्यादि से अनुरोध है कि, स्वच्छ भारत मिशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हुवे दण्डात्मक कार्यवाही से मुक्ति पाने हेतु अपने परिसर में गीले कचरे का निपटान स्वयं की युनिट परिसर में स्थापित कर या निगम से अनुबंधित सेवा प्रदाता से जुड़ कर सुनिश्चित करें एवं नगर निगम, इन्दौर को स्वच्छ सर्वेक्षण में पुनः नं. 1 पर लाने में अपना योगदान दें।

स्थान : इन्दौर

दिनांक :

आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर

C:\USERS\DELL\DESKTOP\PRESS VIGYAPTI.DOCX

Scanned by CamScanner